न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 30/2019 निर्णय दिनांक :– 18-10-19

उनवान

1. हरिशंकर पुत्र श्री बजरंगा जाति गुर्जर निवासी ग्राम झिलाई तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान।

–––वादीगण–––

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर।

–––प्रतिवादीगण–––

<u>दावा नाम दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

वादी ने वाद पत्र निम्न प्रकार पेश किया कि :–

वादी की शामलाती कब्जे काश्त व खातदारी की भूमि आराजी में खसरा नम्बर 352 रकबा 0.15 है0, खसरा नं० 353 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 359 रकबा 0.10 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 है0 भूमि वाके ग्राम सांवलिया तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिसको वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया गया है। बादी के पिता का नाम वादग्रस्त आराजी में बजरंगा पुत्र विशना जाति गुर्जर सा.देह अंकित कर रखा है। जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम बजरंगा पुत्र किशना जाति गुर्जर सा0देह है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:09:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

के पिता नाम गलत अंकित कर दिया। राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना नाम दर्ज करने में गलती की है। जो कानून अवैध है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता नाम सम्वत 2024 में साबिक खसरा नं0 64 में वादी के पिता का नाम बजरंगा पुत्र किशना ही दर्ज है। परन्तु राजस्व कर्मचारी किं लापरवाही से सम्वंत 2027–31 की जमाबन्दी के साबिक खसरा नं0 64 में वादी के पिता का गाग बजरंगा पुत्र विशना कर दिया गया है। जो गलत है। जिससे वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वादी राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता के नाम को सही नाम बजरंगा पुत्र किशना जाति गुर्जर दुरूस्त करावें, तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावेंद्य जिसका वादी कानूनन अधिकारी है। वादी के पिता नाम सम्वत 2024 साबिक खसरा नं0 64 में वादी के पिता का नाम बजरंगा पुत्र किशना ही दर्ज चला आ रहा है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से वादी के पिता नाम बजरंगा पुत्र विशना कर दिया गया है। जो कि वह गलत है। जो कि वादी दुरूस्त कराने का अधिकारी है। वादी अपनी खातेदारी भूमि का विरासत का नामान्तकरण खुलवाने के लिए दिनांक 02.01.2019 को राजस्व रिकॉर्ड की नकले ली तब वादी के पिता का नाम बजरंगा पुत्र विशना अंकित कर रखा है। पहले अपने नाम को दुरूस्त करावो, तब वादी को अपने पिता की भाग की उक्त गलत नाग की जानकारी हुंई, वादी के लिये अ[illegible] हो गया कि वो वादग्रस्त आराजी में अंकित अ[illegible] देह के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:09:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

रही नाग बजरंगा पुत्र किशना जाति गुर्जर दुरूस्त करावें तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करावें। जिससे वादी के कब्जे, काश्त के राजस्व रिकॉर्ड में किसी तरह की त्रुटि नहीं करें। वादी के लिये वाद कारण दिनांक 02.01.2019 को जब राजरव रिकॉर्ड की नकले लेने पर वादी के पिता का नाम गलत अंकित होने के लिये कहने पर उत्पन्न हुआ, जिससे वाद श्रीमान के समक्ष पेश करता आवश्यक हुआ। प्रतिवादी सं० 01 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है। वादी का वाद अन्द मियाद व निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है। विवादित आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय हाजा को प्राप्त है। वाद वादी पेश कर निवेदन है वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादित भूमि आराजी में खसरा नम्बर 352 रकबा 0.15 है0, खसरा नं० 353 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 359 रकबा 0.10 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 है0 भूमि वाके ग्राम सांवलिया तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान में अंकित बजरंगा पुत्र विशना सा. देह के स्थान पर वादी के पिता का नाम बजरंगा पुत्र किशना को दुरूस्त फरमाया जावे तथा दुरूरती का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जावें। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वो वादी की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में किसी तरह की त्रूटि नहीं करें, ना ही स्वयं करे ना ही ... करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:09:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

दावा वकील वादी के द्वारा पेश किये जाने पर वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गयी व जवाब सरकार लिया गया तो पैरोकार सरकार ने जवाब इस प्रकार पेश किया कि वाद का मद संख्या 1 मुताबिक राजस्व जमाबंदी ग्राम सांवलिया संवत 2073–76 के खाता संख्या 199 में अंकन की हद तक स्वीकार है, वर्तमान जमाबंदी में वादी के पिता का नाम बजरंगा पुत्र विशना जाति गुर्जर सा0 देह दर्ज है जो सही है। साबिक राजस्व जमाबंदी संवत 2024–27 के खाता संख्या 98 साबिक खसरा नम्बर 64 में प्रार्थी के पिता का नाम बजरंगा पुत्र किशना जाति सा0 दर्ज रिकार्ड है परन्तु नवीन जमाबंदी संवत 2028–31 में खाता संख्या 100 में बजरंगा पुत्र विशन दर्ज रिकार्ड है। जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो वकील ने जमाबंदी संवत 2024–27 खाता संख्या 98 साबिक खसरा नम्बर 64 में अंकित अनुसार वादी के पिता का नाम शुद्ध किये जाना दौराने बहस जाहिर किया गया। वादी ने दावे के समर्थन में जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 176 मिलान क्षेत्रफल 2051–70 जमाबंदी संवत 2024 से 27 के खाता संख्या 98 व जमाबंदी संवत 2028–31 के खाता संख्या 100 के दस्तावेज बतौर सबूत पेश किये गये। वकील वादी की बहस पर गौर किया व दस्तावेज एवं जवाब सरकार का परीक्षण किया गया तो जमाबंदी संवत 2024–2027 के खाता संख्या 98 में साबिक खसरा नम्बर 64 में प्रार्थी के पिता का नाम बजरंगा पुत्र किशना दर्ज है किन्तु जमाबंदी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:09:14 IST
Reason: SelfAttested

2028–31 में बजरंगा पुत्र बिसना दर्ज हो गया जो गलत दर्ज कर दिया असी अनुसार आगे नाम चलता रहा जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाना चाहता है जो तहसीलदार के जवाब एवं जमाबंदी संख्या 2024–27 के खाता संख्या 98 के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 352, 353, 359 किता 3 रकबा 0.43 है0 भूमि वाके ग्राम सांवलिया तहसील चाकसू में वादी का नाम अंकित बजरंगा पुत्र विशना सा0 देह के स्थान पर वादी के पिता का नाम बजरंगा पुत्र किशना दुरूस्त किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना में तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:09:14 IST
Reason: SelfAttested